

इज्जतनगर

रेल प्रज्ञा 2025

मथुरा छावनी



इज्जतनगर मंडल
की राजभाषा पत्रिका

इज्जतनगर IZZATNAGAR



वीणा सिन्हा

मंडल रेल प्रबंधक

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर-243122

फोन : 0581-2515946

ई-मेल : drm@izn.railnet.gov.in



पूर्वोत्तर रेलवे

संदेश

प्रिय साथियो,

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इज्जतनगर मंडल की पत्रिका 'रेल प्रज्ञा' का नियमित प्रकाशन सफलतापूर्वक हो रहा है। यह पत्रिका न केवल मंडल की उपलब्धियों एवं गतिविधियों को समाहित करती है, बल्कि हमारे समर्पित रेलकर्मियों की कर्मठता, निष्ठा और उत्साह का प्रतीक भी है।

मंडल की सतत प्रगति देखकर अपार संतोष की अनुभूति होती है। इसी के साथ, इस विकास यात्रा को और अधिक गति देने की जिम्मेदारी को भी मैं पूर्ण रूप से महसूस करती हूँ। यहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन, समन्वय और कर्तव्यनिष्ठा की भावना देखकर हृदय में विश्वास और उत्साह उत्पन्न होता है कि हम सब मिलकर इस मंडल को नए आयाम देंगे।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी इज्जतनगर मंडल की सक्रिय भागीदारी सराहनीय है। पत्रिकाओं की भूमिका भाषा के संवर्धन एवं प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और 'रेल प्रज्ञा' इस दिशा में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही है। यह पत्रिका न केवल मंडल की उपलब्धियों को दस्तावेजों के रूप में संजोती है बल्कि इसे पूरे देश तक पहुँचाने का माध्यम भी बनती है।

मैं 'रेल प्रज्ञा' की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह पत्रिका भविष्य में इसी प्रकार मंडल की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का दर्पण बनी रहेगी। आइए, हम सब मिलकर अपने मंडल को और अधिक सशक्त एवं उन्नत बनाने का संकल्प लें।

शुभकामनाओं सहित...

वीणा सिन्हा
(वीणा सिन्हा)

मंडल रेल प्रबंधक - इज्जतनगर



पूर्वोत्तर रेलवे

मनोज कुमार

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक



प्रधान सम्पादक की कलम से...

प्रिय साथियो,

आज से पचहत्तर वर्ष पूर्व हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इन वर्षों में हिंदी ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं और यह देखकर गर्व होता है कि हिंदी के प्रति एक सकारात्मक और प्रगतिशील वातावरण का निर्माण हो रहा है। तकनीकी प्रगति, विशेषकर कंप्यूटरों और डिजिटल साधनों के उपयोग ने हिंदी में कार्य करना और भी सरल बना दिया है। अब हिंदी में कार्य करने के लिए अनेक साफ्टवेयर, फॉन्ट्स और अनुवाद उपकरण उपलब्ध हैं।

इस सन्दर्भ में आप सभी से निवेदन है कि निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करें ताकि हमारे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके :-

1. सरल और सहज भाषा में पत्राचार : कार्यालय से लिखे जाने वाले पत्रों को सरल, बोलचाल की भाषा में तैयार किया जाए।
2. हिंदी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन : नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए ताकि हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
3. शाखा स्तर पर हिंदी बैठकें : शाखा अधिकारी अपने स्टाफ के साथ हिंदी बैठकों का आयोजन करें और हिंदी के प्रगति कार्यों की समीक्षा करें।
4. ई-ऑफिस में हिंदी का उपयोग : ई-ऑफिस की फाइलों में हिंदी टिप्पणियों का उपयोग बढ़ाया जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम इन प्रयासों को पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ करेंगे, तो हिंदी न केवल राजभाषा के रूप में गौरवपूर्ण स्थान बनाए रखेगी बल्कि हमारी कार्यशैली में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी।

शुभकामनाओं सहित...

मनोज कुमार

आपका शुभाकांक्षी

(मनोज कुमार)

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक



पूर्वोत्तर रेलवे

बबलु

सहायक कार्मिक अधिकारी- II
एवं राजभाषा अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर



सम्पादकीय

प्रिय पाठको,

‘रेल प्रज्ञा’ पत्रिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पत्रिका में जो निखार दृष्टिगोचर हो रहा है इससे सिद्ध होता है कि इस मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सृजन क्षमता में निरंतर विकास हो रहा है।

राजभाषा विभाग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि इस पत्रिका को उपयोगी एवं सार्थक बनाया जाए ताकि यह पाठकों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ न केवल राजभाषा हिंदी का प्रचार- प्रसार करे बल्कि मंडल की गतिविधियों को भी आप तक पहुँचाए। हमारा संगठन एक तकनीकी संगठन है अतः हिंदी में कार्य करने में कुछ कठिनाई महसूस की जाती है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बोलचाल की हिंदी का इस्तेमाल करके निर्बाध गति से हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है।

इस पत्रिका के प्रकाशन में जिन लेखक बंधुओं ने अपना सृजनात्मक सहयोग दिया है, हम उनके आभारी हैं। पाठकों की प्रतिक्रिया का हमेशा स्वागत है।

सादर!

आपका शुभाकांक्षी

(बबलु)

सहायक कार्मिक अधिकारी-II

एवं राजभाषा अधिकारी

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर



पूर्वोत्तर रेलवे



रेल प्रज्ञा

इज्जतनगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे की राजभाषा पत्रिका

अनुक्रमणिका



संरक्षक

वीणा सिन्हा

मंडल रेल प्रबन्धक

प्रधान संपादक

मनोज कुमार

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी

एवं

अपर मंडल रेल प्रबन्धक

संपादक

बबलु

सहायक कार्मिक अधिकारी-॥

एवं राजभाषा अधिकारी

संपादन सहयोग

संजीव कुमार

वरिष्ठ अनुवादक

अमरेन्द्र कुमार यादव

वरिष्ठ अनुवादक

मोहिन्द्र कुमार

कनिष्ठ अनुवादक

योगेश कुमार

कनिष्ठ लिपिक



क्र.सं.

पृष्ठ संख्या

1. जीवन के लिए बहुमूल्य संदेश 05
2. अनोखी आभा 06-09
3. कर्मों की फलश्रुति 10-13
4. हीटस्ट्रोक अर्थात् लू के लक्षण व बचाव 14-15
5. भूतपूर्व सरपंच एवं वर्षा रानी 16
6. राजभाषा हिंदी : संवैधानिक व्यवस्था 17-19
7. राजभाषा अधिनियम 1963 20-21
8. राजभाषा अधिनियम 1967 (संशोधित)
एवं राजभाषा नियम 1976 22-25
9. राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध..... 26
10. शहर का मशहूर मिष्ठान भण्डार एवं चल ऐ मेरे दिल 27
11. राजभाषा प्रश्नोत्तरी 28-36
12. इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ 37-44



सम्पर्क :

राजभाषा विभाग

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, बरेली-243122

टेलीफोन : 22835/22837 (रेलवे), मो. 9760541604

ईमेल : rba.div.izn@gmail.com और ra@izn.railnet.gov.in

Website : ner.indianrailways.gov.in/izzatnagar/rajbhasha

(पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों/रचनाकारों के अपने हैं)

निःशुल्क वितरण हेतु



जीवन के लिए बहुमूल्य संदेश

सभी वरिष्ठ साथियों और उन सभी सेवानिवृत्त होने वाले सभी साथियों के लिए बहुत उत्तम संदेश है :-



जीवन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके पैसे कमाना अनुचित है क्योंकि अब इसके बाद पैसे खर्च करके भी स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते इसलिए स्वास्थ्य को महत्व दें । जीवन मर्यादित है और जब इसका अंत होगा तब इस लोक की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाएगी । फिर ऐसे में बचत करके जीना, आवश्यकता के अनुसार खर्च न करना जिन अच्छी बातों में आनंद मिलता है उन्हें करना ही चाहिए । हमारे जाने के पश्चात क्या होगा, कौन क्या रहेगा इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि देह के पंचतत्व में विलीन होने के बाद कोई तारीफ करें या टीका-टिप्पणी करें क्या फर्क पड़ता है । इस समय जीवन का और मेहनत से कमाए हुए धन का आनंद लेने का वक्त निकल चुका होगा । अपने बच्चों की जरूरत से अधिक फिक्र ना करें । उन्हें अपना मार्ग स्वयं खोजने दें । अपना भविष्य स्वयं बनाने दें । उनकी अच्छी परवरिश करें उन्हें वस्तुएं भेंट भी दें लेकिन कुछ आवश्यक खर्च स्वयं अपनी आकांक्षाओं पर भी अवश्य करें जन्म से मृत्यु तक सिर्फ कष्ट करते रहना ही जीवन नहीं है । यह ध्यान रखें आप जीवन के कई दशक पार कर चुके हैं । इस आयु में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बचा हुआ जीवन सुरक्षित रूप से कैसे व्यतीत किया जाए । आपके पास यदि पांच-दस एकड़ उपजाऊ जमीन भी हो तो पेट भरने के लिए कितना अनाज चाहिए, आपके पास अनेक मकान हो तो भी रात में सोने के लिए एक ही कमरा चाहिए । एक दिन बिना आनंद के बीते तो आपके जीवन का एक दिन आपने गवां दिया और यदि एक दिन आनंद में बीता हो तो एक दिन आपने कमा लिया है । यह एक और बात ध्यान रखें यदि आप खिलाड़ी प्रवृत्ति के और खुशमिजाज इंसान है, तो बीमार होने पर भी बहुत जल्द स्वस्थ होंगे और यदि सदा प्रफुल्लित रहते हैं तो कभी बीमार ही नहीं होंगे । सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने आसपास जो भी अच्छाई है, शुभ है उसका आनंद लें और उसे संभाल कर रखें । अपने मित्रों को कभी ना भूले । उनसे हमेशा अच्छे सम्बन्ध बनाकर रखें । अगर इसमें सफल हुए तो हमेशा दिल से युवा बने रहेंगे और सबके चहेते रहेंगे । मित्र ना हो तो अकेले पड़ जाएंगे और यह अकेलापन बहुत भारी पड़ेगा । इसलिए रोज व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहे और हंसते रहें, एक दूसरे की तारीफ भी करें । जितनी आयु बची है उसे आनंद में व्यतीत करें । प्रेम का आनंद लें क्रोध घातक है उसे हमेशा के लिए जमीन में दफना दें । वाणी पर सयंम रखें, हमेशा मधुर और धीमी आवाज में बात करें । संभव न हो तो मुस्कुराकर मौन रहे । संकट क्षणिक होते हैं उनका सामना करें । पर्वत शिखर के पार जाकर सूर्य वापस आ जाता है, लेकिन दिल से दूर हुए प्रियजन वापस नहीं आते । रिश्तों को संभाल कर रखें । सभी लोगों में आदर सम्मान और प्रेम बांटे । जीवन तो क्षण-भंगुर है कब और कैसे खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा इसलिए आनंद दें और स्वयं आनंद लें । मित्र और मित्रता को संभाल कर रखें । जीवन में जितना हो सके गेट टूगेदर करते रहें ।

सबसे बड़ी बात - स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें ।

नागेश्वर नाथ श्रीवास्तव

वरिष्ठ अनुवादक, राजभाषा विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर



अनोखी आभा



नवम्बर का महीना था। रात के दस बजे थे। मैदानी इलाकों में नवम्बर में हल्की सर्दी का महीना माना जाता है। दिन में गुनगुनी धूप निकलती है और शाम होते-होते मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। मगर कश्मीर में नवम्बर में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। कभी-कभी तो बर्फबारी भी शुरू हो जाती है।

परवेज रसूल गुलमर्ग में अपने घर में बेड पर रजाई में लेटा हुआ था। वह सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर खट-खट की आवाज हुई। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी रात में इस

सर्दी की रात में कौन हो सकता है उसने मन ही मन सोचा।

उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने तीन-चार राइफल धारी नौजवानों को देखकर वह घबरा उठा। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वे आतंकवादी हैं।

“हमें आपसे कुछ बात करनी है।” उनमें से एक नौजवान रुआबदार स्वर में बोला। वह शायद उनका कमांडर था।

“बताइए क्या बात है?” परवेज रसूल ने कहा। बात महत्वपूर्ण है इसलिए यहां खड़े होकर नहीं की जा सकती। आप हमें अन्दर आने दीजिए। बैठकर बात करते हैं।” उसी नौजवान ने परवेज रसूल के चेहरे की ओर देखते हुए कहा।

मजबूरी में परवेज रसूल ने अनमने भाव से दरवाजा खोला, और उन लोगों को अपने कमरे में बैठाया। फिर उसी नौजवान की ओर मुखातिब होते हुए पूछा, कहिए क्या कहना है।

“देखिए आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं और कश्मीर को आजाद कराने की मुहिम में लगे हुए हैं। हमें इस नेक काम में आपकी मदद चाहिए।” नौजवान सपाट स्वर में बोला। “कैसी मदद?” परवेज रसूल ने उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा।

नौजवान ने राजभरे स्वर में बोला, “देखिए हमें पता चला है कि आप इस रेन्ज के एस.एस.पी., एस.के. सिंह के पर्सनल अटेन्डेन्ट हैं। उनके लिए चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट और खाने का टिफिन आप ही लेकर जाते हैं। वे आप पर बहुत विश्वास करते हैं और आप द्वारा ले जाई गई खाने-पीने की चीजों को कभी चेक नहीं करवाते हैं। हम इसी बात का लाभ उठाना चाहते हैं। “कैसा लाभ मैं कुछ समझा नहीं।” परवेज रसूल ने उस नौजवान की ओर देखते हुए पूछा।

“देखिए एस.के. सिंह एक जांबाज और दिलेर पुलिस ऑफिसर है। वे हमारे मिशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे कई साथियों को वह पुलिस मुठभेड़ में गोलियों से छलनी कर चुके हैं। उनके कारण हमारा नेटवर्क यहां सक्रिय नहीं हो पा रहा है। उन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। हमने उनको मारने का एक्शन प्लान बनाया है और उसमें हमें आपकी मदद चाहिए।” वह आतंकवादी कमांडर परवेज रसूल की आँखों में झाँकते हुए बोला।

“क्या ? एस.एस.पी. साहब को मारने का प्लान। परवेज रसूल ऐसे उछल पड़ा मानो उसके पास में ही कहीं बम फटा हो।” मैं इसमें तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। यह एस.एस.पी. साहब के साथ विश्वासघात होगा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर



सकता। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गुनाह में तुम लोगों का साथ दूँगा।” परवेज रसूल उत्तेजित स्वर में बोला। आतंकवादी कमांडर ने कोई इशारा किया और उसके साथियों ने परवेज रसूल पर अपनी राइफलें तान दीं। परवेज रसूल का चेहरा भय से सफेद पड़ गया।

कमांडर कड़कदार स्वर में बोला, “तुम्हें यह काम करना ही होगा। अगर तुमने इसके लिए मना किया तो मेरे एक इशारे पर तुम्हारी और तुम्हारे दोनों बेटों व बेगम की लाशें जमीन पर तड़पती मिलेंगी।”

परवेज रसूल का पूरा शरीर भय से थर-थर कांपने लगा था। “मुझे विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए।” बड़ी कठिनाई से यह शब्द उसके मुँह से निकले।

“हमारा हुक्म अन्तिम होता है। उस पर विचार करने के लिए कोई समय नहीं मिलता। तुम्हें अभी हाँ या ना में जवाब देना होगा। अगर ना की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना।”

परवेज रसूल को मानो सांप सूँघ गया काफी देर तक वह बुत बना बैठा रहा।

वह आतंकी कमांडर अपने स्वर को मुलायम बनाते हुए बोला—देखो यह काम तुम्हें हर हालत में करना ही करना है। हम तुम्हें इस काम के लिए पूरे पच्चीस लाख रुपए देंगे जो तुम्हारी दस साल की पगार के बराबर है।”

परवेज रसूल के पास अब हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।

अपने परिवार की सुरक्षा और पच्चीस लाख रुपए के लालच में वह हाँ कहने के लिए तैयार हो गया था। उसने कहा—मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे करना क्या होगा यह तो बताइए?”

यह तुम्हें दो-तीन दिन में बता दिया जाएगा। फिर उसने अपने एक साथी को कुछ इशारा किया। उसने एक बैग परवेज रसूल के सामने रख दिया। वह आतंकवादी कमांडर बोला—“इसमें दस लाख रुपए हैं, रख लो। शेष पन्द्रह लाख रुपए जिस दिन हम काम बताने आयेंगे उस दिन दे देंगे।” इसके बाद वे आतंकवादी चले चले गये थे। जाते-जाते वे चेतावनी दे गए थे कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। उनके जाने के बाद भी परवेज रसूल काफी देर तक बुत बना बैठा रहा था।

परवेज रसूल की बेगम भी जाग गई थी और अंदर बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। दोनों काफी देर तक आपस में सोच विचार करते रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कि अचानक आई इस विपदा से कैसे निपटा जाए।

दो-तीन दिन गुजर गए थे, आतंकवादियों की चेतावनी के भय से परवेज रसूल ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसने कई बार सोचा कि एस.एस.पी. साहब को सब कुछ साफ-साफ बता दे मगर यह सोचकर कि अगर उसने इस बारे में कुछ बताया तो आतंकवादी उसके पूरे परिवार को मार डालेंगे। परिवार की चिन्ता ने उसके होंठ सिल दिए थे।

तीन-चार दिन बाद सुबह वह घर से ऑफिस जा रहा था। ऑफिस उसके घर से दो किलोमीटर दूर था मगर पहाड़ी रास्ता होने के कारण उसे पैदल ही ऑफिस जाना पड़ता था। एक जगह पर रास्ता संकरा था, दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं। परवेज रसूल कुछ सोचता हुआ जा रहा था। अचानक झाड़ी में से चार-पांच आतंकवादी निकल आए थे। उन्हें देखकर परवेज रसूल की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई थी। इससे पहले कि वह कुछ कहे वही कमांडर बोला—“तुम रोज दोपहर में एस.एस.पी. सिंह के



क्वार्टर से उनका लंच बॉक्स लेकर जाते हो और उसको उनकी टेबल पर रख देते हो।”

“जी हाँ”, रसूल ने बड़ी कठिनाई से कहा था। आज तुम्हें उनके लंच बॉक्स में यह बम रखना है। बम में ठीक दो बजे का टाइम सेट है। एस.एस.पी. टाइम का बड़ा पाबंद है। वह ठीक दो बजे लंच करता है। आज जैसे ही वह लंच बॉक्स खोलेगा, बम फट जाएगा और उसके परखच्चे उड़ जायेंगे।

परवेज रसूल का पूरा शरीर भय के मारे थर-थर कांप रहा था। वह कुछ कहना चाह रहा था, मगर भय के कारण शब्द उसके होठों से नहीं निकल पाए थे। उसे बम पकड़ाकर आतंकवादी फिर झाड़ियों में गायब हो गये थे।

परवेज रसूल को तो मानो काठ मार गया था। वह काफी देर तक वहीं बुत बना खड़ा रहा था फिर वह आफिस की ओर चल दिया था। उसने सोचा कि आतंकी कमाण्डर ने जो कहा है वैसा करने में ही उसकी और उसके परिवार की खैरियत है।

दोपहर में जब वह एस.एस.पी. साहब के यहां से लंच बॉक्स लेकर आया तो उसने लंच बॉक्स में से खीर की कटोरी हटाकर उसके स्थान पर बम रख दिया। बम आकार में काफी छोटा था इसलिए आसानी से लंच बॉक्स में फिट हो गया था।

उसने लंच बॉक्स ले जाकर साहब की टेबल पर रख दिया। उसका दिल धक-धक कर रहा था। उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी।

दो बजने में पाँच मिनट रह गए थे। एस.एस.पी. साहब लंच करने के लिए अपनी टेबल की ओर चल दिए थे।

अचानक एक विचार परवेज रसूल के मन में बिजली की भांति कौंधा—“यह क्या करने जा रहा है परवेज रसूल ! तू उस अफसर के साथ गद्दारी करने जा रहा है जो तुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। जिस अफसर ने तेरी पत्नी को बचाने के लिए पिछले साल अपना खून दिया था। वह अफसर जो जांबाज है, ईमानदार है और अपने वतन की रक्षा के लिए हर दम अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। वह अफसर है जो हर मिशन में खुद सबसे आगे रहता है। और फिर तू अपने वतन से गद्दारी कर रहा है। ऐसा करके तुझे दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी परवेज रसूल। तू गद्दार कहलाएगा गद्दार। लोग तेरे नाम पर थूकेंगे।”

विचारों का सिलसिला थामे नहीं थम रहा था। उत्तेजना के मारे परवेज रसूल का पूरा शरीर पसीने से तर-बतर हो गया था।

उसने देखा कि एस.एस.पी. साहब टेबल पर पहुंच गए हैं और वे टिफिन खोलने ही वाले हैं। परवेज रसूल ने घड़ी पर नजर डाली। दो बजने में केवल दो मिनट रह गए थे।

अचानक परवेज रसूल जोर से चीखा—“साहब टिफिन मत खोलना, टिफिन में बम है।” एस.एस.पी. का हाथ जहां का तहां रुक गया।

परवेज रसूल तेजी से मेज की ओर भागा उसने फुर्ती से लंच बॉक्स उठाया और खिड़की में से नीचे झील में फेंक दिया। तब तक दो बज गए थे। अचानक इतना तेज धमाका हुआ कि आफिस की खिड़कियों के शीशे चटक गए और झील का पानी बहुत देर तक खौलता रहा।

यह सब एक क्षण में घटित हो गया था। एस.एस.पी. एस.के. सिंह हैरान से खड़े यह सब देख रहे थे।



“तुम्हें इस बम के बारे में कैसे पता चला ?” उन्होंने परवेज रसूल से कठोर स्वर में पूछा।

परवेज रसूल ने अपने साथ घटी तीन-चार दिन की घटनाएं सच-सच बयां कर दीं।

एस.के. सिंह अनुभवी अफसर थे। उन्हें परवेज रसूल की बातों में सच्चाई लगी। फिर अचानक एक बात उनके मन में बिजली की भांति कौंधी और वे बोले-“तुम्हारे परिवार को खतरा हो सकता है परवेज रसूल। हमें तुरन्त वहां पहुंचना होगा।”

एस.एस.पी. एस.के. सिंह तत्काल एक्शन मोड में आ गए थे। उन्होंने हेड क्वार्टर पर मौजूद पुलिस फोर्स एवं रेपिड एक्शन फोर्स को चार टुकड़ियों में बांटकर तीन टुकड़ियों को आतंकवादियों की कांम्बिंग करने के आदेश दिए।

स्वयं वे एक टुकड़ी लेकर परवेज रसूल के साथ उसके घर की ओर चल दिए। आतंकवादी अभी तक परवेज रसूल के घर नहीं पहुंचे थे जिससे उसका परिवार सुरक्षित था। एस.के. सिंह को आशंका थी कि आतंकवादी देर-सवेर परवेज रसूल के मकान पर आयेंगे जरूर इसलिए उन्होंने फोर्स को मोर्चा संभालने और हर पल एक्शन मोड में रहने का आदेश दिया। वे खुद सबसे आगे रहकर नेतृत्व कर रहे थे।

एस.एस.पी. एस.के. सिंह की आशंका सही साबित हुई एक-डेढ़ घंटे बाद आतंकवादियों ने परवेज रसूल के मकान को घेरकर अंधाधुन्ध फायरिंग शुरू कर दी। वे परवेज रसूल पर गद्दारी का आरोप लगा रहे थे और उसे सबक सिखाने की बात कह रहे थे।

उधर परवेज रसूल के घर पर पुलिस एवं रेपिड फोर्स के जवान पूरी तरह मुस्तैद थे। उन्होंने एस.एस.पी., एस.के.सिंह के आदेश पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दो-तीन घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही। इस बीच दो आतंकवादी पुलिस की गोलियों से ढेर हो गए। शेष बचे तीन आतंकवादी भाग निकले।

एस.एस.पी., एस.के. सिंह ने जंगल में कांम्बिज कर रहे पुलिस एवं एक्शन फोर्स में जवानों को पूरी बात बता कर उन्हें पूरी तरह से अलर्ट रहने और आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। कई घंटे की फायरिंग के बाद दो आतंकी मारे गये और बचे हुए एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया।

एस.एस.पी., एस.के. सिंह ने परवेज रसूल की पीठ थपथपाई। उसने श्रद्धा वश उनके पैर छू लिए। परवेज रसूल के मन में छाए संशय के सारे बादल अब छट चुके थे और उसका चेहरा देश प्रेम की अनोखी आभा से दमक उठा था।

सुरेश बाबू मिश्रा

साहित्य भूषण एवं

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, बरेली

मोबाइल नं. 9411422735,

E-mail : sureshbabubareilly@gmail.com



‘‘कर्मों की फलश्रुति’’ कहानी



मैं परिवार सहित हरिद्वार गंगा स्नान करने आया था। हरि की पैंड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद हम लोग होटल की ओर लौट रहे थे। मेरी पत्नी वहाँ बैठे भिखारियों को फल बांटने लगी। मैं भी उनके साथ था। अचानक मेरी नजर एक भिखारी पर पड़ी। उन्नत ललाट बड़ी-बड़ी आँखें चौड़े कन्धे, उन्नत ग्रीवा, लम्बी कद काठी, सफेद बाल और बड़ी हुई सफेद दाढ़ी। उसने सादो मगर साफ कपड़े पहने हुए थे। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना-पहचाना सा लगा। उसने मेरी पत्नी से फल लिये और निश्चिन्त भाव से बैठा उन्हें खा रहा था। मैं ठिठक गया। मैंने बड़े ध्यान से उस भिखारी के चेहरे को देखा मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। मेरे मनो-मस्तिष्क में एक चेहरा उभरा चौधरी शमशेर सिंह का मगर यह कैसे हो सकता था। कहां चौधरी शमशेर सिंह और कहाँ ये भिखारी। मगर भिखारी की सूरत हू-ब-हू चौधरी शमशेर सिंह से मिलती थी। मेरा शक बढ़ता जा रहा था। मैं जैसा सोच रहा था मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मुझे परेशान देखकर पत्नी ने पूछा क्या बात है ? “मैंने कहा कोई बात नहीं।” पत्नी और बच्चों के साथ मैं होटल पहुंचा जहां हम लोग ठहरे हुए थे। सबके साथ मैंने नाश्ता किया फिर पत्नी से यह कहकर कि मैं अभी थोड़ी देर में आया, वापस हरि की पैंड़ी पर आ गया था। मैंने सेब और केले खरीदे और उस भिखारी के पास पहुंचा। यकायक मुझे अपने सामने पाकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरे ही क्षण उसने अपने को संयत करने का प्रयास किया मगर मेरे मन का शक और गहरा हो गया था। मैं उसके बिल्कुल पास गया और उसकी आँखों में देखते हुए मैंने उससे सवाल किया, “क्या तुम चौधरी शमशेर सिंह हो ?” अचानक किए गए इस सवाल से वह सकंटे में आ गया था। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। काफी देर तक वह ऊहापोह की स्थिति में खड़ा रहा। फिर उसने अपने चेहरे के भावों को संयत किया और सपाट स्वर में बोला, हाँ मैं चौधरी शमशेर सिंह हूँ। “क्या ?” मेरा मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहां चौधरी शमशेर सिंह और कहां यह दीनहीन भिखारी दोनों में दूर-दूर तक कहीं कोई समानता नहीं थी। आज से लगभग बीस साल पहले मेरी तैनाती उत्तर प्रदेश के एक जनपद में थी। सूबे के कद्दावर नेता और कृषि मन्त्री चौधरी शमशेर सिंह उसी जनपद में रहने वाले थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी था। लम्बी चौड़ी कद काठी, गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आँखें और रौबदार चेहरा। उनका स्वभाव बड़ा मिलनसार था। सबके सुःख-दुःख में शामिल रहना उनकी आदत में शुमार था। वे खानदानी आदमी थे और उनकी लम्बी-चौड़ी खेती थी। कई बीघे में बनी उनकी विशाल हवेली नुमा कोठी थी। आस-पास के इलाके में उनकी तूती बोलती थी। छोटे-मोटे अफसरों की तो गिनती ही क्या, डी.एम. और एस.पी. तक उनके आगे-पीछे घूमते थे। मगर शमशेर सिंह की यह खासियत थी कि वह सभी को पूरा मान-सम्मान देते थे। मेरा भी उनकी कोठी में अक्सर आना-जाना लगा रहता था और मैं उनके व्यक्तित्व



से बड़ा प्रभावित था। आस-पास के क्षेत्र में उनकी छवि एक सभ्रान्त और धाकड़ नेता की थी। एक साल बाद मैं प्रति नियुक्ति पर केन्द्र सरकार में चला गया था और बीस साल बाद अचानक चौधरी शमशेर सिंह को इस रूप में देखकर मेरे मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। चौधरी साहब आप और इस रूप में मैंने सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखा था। सब समय का फेर है मेरे भाई। शमशेर सिंह बुदबुदाए थे। काफी देर तक वह किन्हीं ख्यालों में खोए रहते थे। यह सब हुआ कैसे ? मैंने उन्हें कुरेदा। अब तक शायद वह अपने आपको मानसिक रूप से तैयार कर चुके थे। लम्बी कहानी है चलो कहीं एकान्त में बैठकर सुनाते हैं। हम लोग एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए थे। चौधरी शमशेर सिंह बोले आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास भगवान का दिया सबकुछ था। मान-सम्मान, धन-दौलत, जमीन-जायदाद, नौकर-चाकर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुन्दर सुशील पत्नी और दो आज्ञाकारी बेटे। एक आई.ए.एस. की ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरा आई.पी.एस. की। मुझसे खुशनसीब भला और कौन हो सकता था। परन्तु नियति को शायद कुछ और ही मन्जूर था। मेरे दोनों बेटे छुट्टी में गाँव आए हुए थे। मेरी और मेरी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कोठी में हर समय हंसी के ठहाके गूँजते रहते। दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम था कि दोनों एक ही थाली में खाते एक ही खाट पर सोते, जहाँ जाते साथ-साथ ही जाते। दोनों की उम्र में केवल दो साल का अंतर था। इसलिए हर बात पर दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ते रहते। एक दिन दोपहर में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। मैंने कुछ दिन पहले एक नई राइफल मंगवाई थी, दोनों उसको देख रहे थे। राइफल को लेकर दोनों में आपस में बहस चल रही थी। राइफल छोटे बेटे के हाथ में थी और वह बड़े भाई को राइफल के बारे में बता रहा था। बड़ा शायद उसकी बात से सहमत नहीं था। बड़े वाले ने उससे राइफल छीननी चाही। छोटे वाले ने राइफल अपनी ओर खींची। इसी छीना झपटी में पता नहीं कैसे राइफल का ट्रिगर दब गया और राइफल की गोली छोटे वाले के सीने में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर हम सब लोग कमरे की ओर दौड़े। छोटा वाला बेड पर पड़ा हुआ था और उसके सीने से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। मैंने हिम्मत करके एक कपड़े से घाव को कसकर बांध दिया जहाँ से खून बह रहा था। उसे कार में लिटाकर मैं और मेरी पत्नी महानगर की ओर चल दिए। हड़बड़ी में बड़े बेटे को साथ ले जाने का ध्यान ही नहीं रहा। महानगर के एक बड़े अस्पताल में मैंने उसे एडमिट कराया। डाक्टरों की पूरी फौज उसके इलाज में लग गई। डाक्टरों ने उसे बचाने की हर सम्भव कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। चार घन्टे बाद मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। किसी के द्वारा यह खबर गाँव तक पहुँच गई। बड़े वाले ने जब यह खबर सुनी तो वह सन्न रह गया। अन्दर ही अन्दर उसे यह बात खाए जा रही थी कि उसके हाथों ही उसके छोटे भाई की जान चली गई। अपराध बोध के कारण वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने उसी राइफल से खुद को गोली मार ली। जब मैं अपने छोटे बेटे की लाश लेकर घर पहुँचा तो बड़े बेटे की लाश पहले से ही बेड पर पड़ी हुई थी। कोठी में कोहराम मच गया। अपने दोनों बेटों की लाश पड़ी देखकर मेरी पत्नी गश खाकर गिर पड़ी। वह ऐसी गिरी कि फिर दोबारा उठ नहीं सकी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनके प्राण पखेरू उड़



गये थे। कुछ ही घंटों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और मैं सरकार का इतना ताकतवर मन्त्री कुछ नहीं कर पाया था। मेरी धन-दौलत, ताकत, पहुँच, शोहरत, रूतवा सब खोखले साबित हुए थे। आज जिन्दगी में पहली बार मुझे अहसास हुआ कि हम सब भाग्य के हाथ की कठपुतली हैं। शाम को मेरी कोठी से एक साथ तीन-तीन अर्थियाँ निकलीं। लोगों का हुजूम जमा था। जिसने यह खबर सुनी दौड़ा चला आया। अंत्येष्टि में कौन-कौन आया और कितने लोग पहुंचे मुझे कोई होश नहीं था। कोठी में मेरे सारे रिश्तेदार सगे सम्बन्धी, शुभचिन्तक आए हुए थे। मगर मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तेरहवीं आदि संस्कार के बाद एक दिन मैं घर से निकल गया। चौदह वर्ष तक मैं इधर-उधर तीर्थों में भटकता रहा मगर कहीं मुझे शांति नहीं मिली। फिर एक दिन मैं वापस गाँव लौट आया। मेरी कोठी पर मेरे भतीजे ने कब्जा कर लिया था। मेरे इतने वर्षों तक बाहर रहने के कारण वे लोग राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे। चौदह साल का अन्तराल बहुत होता है गाँव की नई पीढ़ी मुझे ठीक से पहचानती भी नहीं थी। जिस कोठी में कभी मुझसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था वहाँ अब मैं एक कमरे में अलग थलग पड़ा रहता। कुछ दिनों में मेरा अब वहाँ से दिल उखड़ गया और एक दिन मैं अपनी बाकी जमा पूंजी लेकर हरिद्वार चला आया। यहाँ आकर मैं एक धर्मशाला में रहने लगा। सुबह-शाम गंगा स्नान करता और दिन में किसी आश्रम में प्रवचन सुनता। खाना एक शाकाहारी होटल में खा लेता, लम्बे समय तक यही क्रम चलता रहा। मगर जमा धन कब तक चलता, चार-पाँच साल बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। मेरे सारे रुपये खत्म हो चुके थे। अब न धर्मशाला के किराए के लिए रुपये थे और न ही होटल पर खाना खाने के लिए। कई दिन मैंने इधर-उधर आश्रम में खाना खाकर दिन काटे परन्तु ऐसा कितने दिन चलता। भूख आदमी को क्या से क्या बना देती है। भूख से मजबूर एक दिन मैं यहीं भिखारियों की कतार में बैठ गया और यह सिलसिला एक-डेढ़ साल से चल रहा है, जो दे देता है खा लेता हूँ किसी से कुछ माँगता नहीं। किसी तरह पेट भर जाता है। शमशेर सिंह ने गहरी श्वांस लेते हुए कहा था। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मैं सन्न खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे ढाँढस बधाऊँ। तभी वह बुदबुदाए, “सब मेरे कर्मों का फल है।” मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि क्या अभी इसमें और कोई रहस्य बाकी है? मैंने उनसे कहा-“जहाँ तक मेरी जानकारी है आप तो हर समय दूसरों की मदद में लगे रहते थे अपने विरोधियों तक का आपने कभी बुरा नहीं चाहा। फिर आप यह क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।” शमशेर सिंह शान्त खड़े थे। उनके चेहरे का रंग पल-पल बदल रहा था। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। तभी शमशेर सिंह बोले-“यह उन दिनों की बात है जब मैं पहली बार विधायक बना था। सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के कारण मैं सातवें आसमान में उड़ रहा था। मैंने अपनी कोठी बनवानी शुरू की। कोठी का जो नक्शा इंजीनियर ने बनाया था उसके हिसाब से कोठी के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत थी। मेरी डेढ़ एकड़ जमीन थी। उसके दूसरी ओर की दो बीघे जमीन भी मुझे मिल गई। मगर इन दोनों के बीच में एक विधवा की झोपड़ी थी। उसके कोई सन्तान नहीं थी और वह झोपड़ी में अकेली रहती थी। मैंने उस विधवा को काफी समझाया, अनुनय-विनय की कि वह अपनी झोपड़ी की



जगह कोठी के लिए दे दे उसके ऐवज में वह जहां कहेगी उसे दो कमरे बनाकर दे दिये जायेंगे, मगर वह इसके लिए भी राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि इस झोपड़ी से उसके पति की यादें जुड़ी हुई हैं। और अपने जीते जी झोपड़ी किसी को नहीं देगी। कोठी का काम शुरू हो चुका था और उसकी झोपड़ी हटाये बिना कोठी पूरी नहीं हो सकती थी इसलिए अब जबरन झोपड़ी खाली कराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बरसात की घनी अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। गाँव के सब लोग सोये हुए थे। अपने आठ-दस आदमियों को साथ लेकर मैं उसकी झोपड़ी पर पहुंच गया। मैंने उसे एक बार फिर झोपड़ी खाली कराने के लिए मनाना चाहा मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में मैंने अपने आदमियों से उसकी झोपड़ी खाली कराने को कहा। उन्होंने घसीट कर विधवा को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और झोपड़ी में से सामान उठा-उठा कर ट्रक में लादने लगे। ट्रक का इंतजाम मैंने पहले से ही कर रखा था। इस दौरान वह लगातार मुझे कोस रही थी। वह चिल्ला रही थी-“ भगवान से डर शमशेर सिंह। एक विधवा को घर से बेघर कर तू अच्छा नहीं कर रहा है शमशेर सिंह। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। एक दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। कोई तुझे पानी देने वाला भी नहीं बचेगा।” सत्ता और धन के मद में मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था। मैंने उसका सामान ट्रक में लदवाकर उसे भी जबर्दस्ती ट्रक में बैठा दिया और अपने आदमियों से उसे हरिद्वार हरि की पैड़ी पर छोड़ आने को कहा। जाते समय मैंने उसे पचास हजार रुपये देने चाहे थे मगर उसने घृणा पूर्वक उन्हें फेक दिया था। नियति का खेल तो देखो आज वह विधवा और मैं एक ही कतार में बैठकर भीख मांगते हैं। वह जब भी मेरे सामने पड़ती है मेरी ओर देखकर व्यंग्य से मुस्कराती जरूर है और उसकी मुस्कुराहट मेरा कलेजा चीर कर रख देती है। यह कहकर शमशेर सिंह चुप हो गया था। उनकी यह हालत देखकर मन पीड़ा से भर उठा था चलते समय मैंने उन्हें कुछ रुपये देने चाहे थे जिन्हें लेने से उन्होंने साफ इन्कार दिया। थके कदमों और बोझिल मन से मैं वापस होटल की ओर चल दिया था।

सुरेश बाबू मिश्रा

ए-979, राजेन्द्र नगर, बरेली-243122 (उ०प्र०)

मोबाइल नं. 9411422735

E-mail : sureshbabubareilly@gmail.com



हीट स्ट्रोक अर्थात लू के लक्षण और बचाव



भारत के कई प्रदेशों में गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं अर्थात लू/हीट वेव चलती है इसलिए भारत में हीट स्ट्रोक ज्यादा प्रभावी होता है। विशेषतः गर्मी के मौसम में यह ज्यादा घटित होता है। वर्ष 2024 में 360 से अधिक लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के बीच हीटवेव से 4057 लोगों की मौत हुई।

भारत में हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। खासकर गर्मी के मौसम में, जो शरीर के तापमान को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है। यह जानलेवा भी हो सकता है और इसके लिए तुरंत

चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।

हीट स्ट्रोक के लक्षण, हीट एग्जॉशन (गर्मी से थकावट) एक जैसे ही होते हैं लेकिन एक मुख्य अंतर यह है कि हीट स्ट्रोक से मस्तिष्क की शिथिलता (एन्सेफेलोपैथी) होती है जो सोचने और व्यवहार में बदलाव जैसे भ्रम, बेचैनी और आक्रामकता का कारण बन सकती है।

भारत में हीट स्ट्रोक के कारण :

- 1- उच्च तापमान : हीट स्ट्रोक के कारण गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
- 2- निर्जलीकरण : पानी की कमी भी हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है क्योंकि शरीर को खुद को ठंडा करने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है।
- 3- शारीरिक गतिविधि : अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, खासकर गर्म मौसम में, शरीर में गर्मी पैदा कर सकती है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है।
- 4- कुछ बीमारियाँ जिसमें हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है : कुछ बीमारियाँ, जैसे कि मधुमेह और हृदय रोग, हीट स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
- 5- कुछ दवाएँ : कुछ दवाएँ, जैसे कि एंटीडिप्रेसेंट और एंटीहिस्टामाइन, हीट स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।

भारत में हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय:

- 1- पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं : दिन भर में बार-बार पानी पिएं, खासकर गर्म मौसम में। पानी के अलावा आप बटर मिल्क अर्थात मट्ठा, नींबू पानी, शिकंजी इत्यादि पी सकते हैं।
- 2- गर्म मौसम में शारीरिक गतिविधि सीमित करें : अगर आपको शारीरिक गतिविधि करनी है, तो इसे सुबह या शाम के समय करें। जब तापमान कम होता है। यदि आपको दिन के समय धूप में काम करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप पर्याप्त पानी बार-बार पिएं। अपने शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को सूती कपड़े से ढक के रखें और बार-बार मुंह को



और हाथों को पानी से स्पंजिंग करते रहें। आवश्यकता पड़ने पर धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग कर सकते हैं।

3-गर्म मौसम में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें : हल्के और ढीले कपड़े पहनें जिससे सांस लेने में आसानी हो।

4-गर्मी में घर को ठंडा रखें : घर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर, डेजर्ट कूलर या पंखे का उपयोग करें।

हीट स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानें :-

हीट स्ट्रोक, से ठीक पहले हीट एग्जॉशन की अवस्था होती है। यदि हीट एग्जॉशन के समय ही हम सावधानी और प्राथमिक उपचार ले लें तो हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है।

हीट एग्जॉशन के सामान्य लक्षण :- अत्यधिक पसीना आना, ठंडी और चिपचिपी त्वचा, सिरदर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन और थकान।

-हल्का भ्रम, मतली या उल्टी और तेज लेकिन कमजोर नाड़ी भी हीट एग्जॉशन के लक्षण हो सकते हैं।

यह हीट स्ट्रोक से पहले की एक स्थिति है और इसका प्राथमिक उपचार नहीं करने और सावधानी नहीं बरतने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

हीट एग्जॉशन के कारण : 1-लंबे समय तक गर्मी में रहना, 2- बहुत ज्यादा पसीना आना, जिससे पानी और नमक की कमी हो जाती है।

प्राथमिक उपचार: व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पिलाएं, ठंडे कपड़े से शरीर को ठंडा करें, उस जगह को ठंडा करने के लिये पंखे चलाएं।

यदि लक्षण 1-2 घंटे में ठीक नहीं होते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें ...

रेलवे कर्मचारियों को लू से बचाव हेतु सन्देश : जैसे कि ऊपर बताया गया है कि हीट एग्जॉशन के बावजूद गर्म जगह पर बने रहना या कार्य करते रहने से और इसका उपचार न करने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट से अधिक हो जाता है। त्वचा बिल्कुल शुष्क और गर्म हो जाती है और मरीज को थकान कमजोरी उल्टी जी मचलना, चक्कर आने के साथ-साथ बेहोशी भी हो सकती है। इसका यदि उपचार न किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। शरीर का ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो सकता है। इससे हृदय घात हो सकता है और गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं। भारतीय रेलवे में ट्रैकमैन, गैंगमैन, पीवे सुपरवाइजर जैसे पटरियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को हीट स्ट्रोक, लू की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः बचाव के उपरोक्त सुझावों को अपनाने से लू की समस्या से बचाव सुनिश्चित हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सहायता और परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यदि आपको या किसी अन्य को हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें, तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

डॉ. सुरेन्द्र सिंह चौहान

अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

बरेली सिटी



भूतपूर्व सरपंच



भूतपूर्व सरपंच जी के द्वार पर अब
भीड़ नहीं जुटती।

स्टील के गिलास में अब चाय नहीं
मिलती।

सरपंच जी का खुफिया खबरी
अब किराने की दुकान चलाता है।

एक पुरानी सी डायरी में गांव भर की

उधारी का हिसाब लगाता है।

सरपंच जी का हुक्का अब खामोश हो गया है।

बरामदे में बिछा तख़ता अब नंगा पड़ा रहता है।

रंगीन बिछौना अब उस पर नहीं बिछता।

दोपहरें अब ताश के बगैर गुजर जाती हैं।

गांव का वो पहला ब्लैक एंड व्हाइट

टेलीविजन अब पर्दे में रहता है।

सरपंच जी के द्वार पर जहाँ गाय बंधा करती थी,

वहाँ अब एक विलायती कुत्ता बंधा रहता है।

द्वार से गुजरने वाले गांव वालों पर भौंकता है।

सरपंच जी की पत्नी के घूँघट का कपड़ा,

उतना ही कड़क है...

जितनी कड़क सरपंच जी के हुक्के की गड़गड़ाहट में थी।

जितनी कड़क सरपंच जी की सत्ता की चाहत में थी।

सरपंच जी अब ज्यादातर अपने कमरे में रहते हैं।

कभी-कभी शाम को उसी सड़क से गुजरते हैं।

घंटों उस सड़क से गुप्तगू करते हैं..

जिस सड़क ने सरपंच जी को राजनीति सिखाई थी।

जिस सड़क ने सरपंच जी को सत्ता दिलाई थी।

भूतपूर्व सरपंच जी के द्वार पर अब भीड़ नहीं जुटती।

स्टील के गिलास में अब चाय नहीं मिलती।

नीरज मिश्रा

ईसीआरसी

मथुरा छावनी संपर्क : 976054059

वर्षा रानी आ जाओ



वर्षा रानी, वर्षा रानी भाव भला क्यों
खाती हो ?

‘डोसा’ हमें बनाओगी क्या ?

छिड़क के पानी जाती हो

सच है कि हम इंसानों ने वर्षा वन

को काटा है

जंगल, नदियां, ताल-तलैया, सबको हमने पाटा है

पानी को बर्बाद किया है मोटर वाहन धोने पर

और सड़क को जाम किया है जल की किल्लत होने पर

कूड़ों का अंबार लगा है सड़कों, नदियों-नालों में

जनता का सेवक कहते रहते और रहते व्यस्त घोटालों में

सीवर, संयंत्रों का जल पावन नदी में बहती है

इसलिए तो अपनी गंगा मैली-मैली रहती है

आधुनिकता के नाम पर नित फांद रहे हैं सीढ़ी को

यही भविष्य दिखाएंगे क्या आने वाली पीढ़ी को

हरियाली बलिदान किया है कंक्रीटो के जंगल पर

जाकर पानी खोज रहे हैं आज चांद और मंगल पर

सोलह आने सच है की कागज पर पेड़ लगाया है

पश्चाताप की आग में जलकर अक्ल ठिकाने आया है

सच कहता हूं वर्षा रानी जिस दिन मूड में आओगी

नाव चलेगी सड़कों पर धार नदी सा पाओगी

वर्षा रानी, आ भी जाओ, कसम हम खाते हैं

आज अभी से हम भू-वासी मिलकर पेड़ लगाते हैं

सच कहते हैं हम भू-वासी बात ना अपनी टालेंगे

पेड़ों के यौवन होने तक निष्ठा से हम पालेंगे

रिमझिम-छमछम करती बूंदें लेकर अब तो आ जाओ

और धरा के हर प्राणी को आकर प्यास बुझा जाओ

अमरेश कुमार

निजी सचिव-II, अपर मंडल रेल प्रबंधक

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल



राजभाषा हिंदी : संवैधानिक व्यवस्था

संघ ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था । भारतीय संविधान के सत्रहवें भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक अर्थात् कुल 9 अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषा तथा भाषाओं के विकास आदि के बारे में निम्न प्रावधान हैं :-

1. संघ की राजभाषा
2. राजभाषा आयोग और राजभाषा संसदीय समिति
3. क्षेत्रीय भाषाएं
4. उच्चतम-उच्च न्यायालयों की भाषाएं
5. हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश

अनुच्छेद 343 :

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा ।
2. संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए संविधान लागू होने से पूर्व था, परंतु इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति संघ के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को भी आदेश द्वारा पारित कर सकेंगे ।
3. उक्त पंद्रह वर्ष की समाप्ति के पश्चात संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग निर्धारित करेगी ।

अनुच्छेद 344 :

1. संविधान लागू होने के पाँच वर्ष बाद और फिर दस वर्ष बाद राष्ट्रपति आदेश द्वारा आयोग गठित करेंगे जो भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिंदी भाषी लोगों के न्यायपूर्ण दावों एवं हितों का समुचित ध्यान रखेगा ।



2. आयोगों की सिफारिशों की समीक्षा हेतु राष्ट्रपति द्वारा 30 सदस्यों की संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा जिसमें लोक सभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगी, जिस पर वह आवश्यक विचार करके किसी भाग या संपूर्ण पर अपने आदेश जारी करेंगे।

अनुच्छेद 345 : (राज्य की राजभाषा/राजभाषाएं)

किसी राज्य की विधान सभा विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या कुछ के लिए राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को स्वीकार कर सकेगी।

अनुच्छेद 346 : (राज्यों के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा)

संघ में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा किन्हीं दो राज्यों अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार का माध्यम होगी, परंतु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि उनके बीच पत्राचार के लिए हिंदी का प्रयोग होगा तो उनके बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होगी।

अनुच्छेद 347 : (जनसमुदाय की भाषा) यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी राज्य का अमुक जनसमुदाय यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को उस राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकते हैं कि किसी भाषा को राज्य में सभी या किसी विशेष प्रयोजन के लिए राजकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348 : (न्यायालयों, संसद और विधान सभाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा)

जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न करे उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही तथा संसद अथवा राज्य की विधान सभाओं में प्रस्तुत विधेयक अथवा उनके संशोधनों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। पारित अधिनियम और जारी किए जाने वाले अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी भाषा में होंगे। यह बात आदेश, नियम, विनियम के लिए भी लागू होगी।



तथापि, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से हिंदी या किसी राज्य में प्रयोग की जाने वाली कोई अन्य भाषा का प्रयोग राज्य के उच्च न्यायालय संबंधी कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत करा सकेगा, परंतु यह बात उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों पर लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद 349 : (अधिनियमित करने की प्रक्रिया)

संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक अनुच्छेद 348 के प्रावधानों में परिवर्तन के लिए को विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 350 : (व्यथा का निवारण)

किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को दिए जाने वाले निवेदन संघ या राज्य जैसा भी मामला हो, की राजभाषा में देने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 351 : (हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश)

हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी एवं आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृति से गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द गृहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।



राजभाषा अधिनियम 1963

संविधान के अनुच्छेद 343(3) द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुसार 1963 ई. में राजभाषा के बारे में अधिनियम पारित किया गया जो राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से प्रतिष्ठित है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

धारा 1

यह अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जाना जाएगा और अधिनियम की धारा 3 छब्बीस जनवरी 1965 से स्वतः लागू हो जाएगी जबकि अन्य प्रावधान अधिसूचनाओं द्वारा जारी तारीख से लागू होंगे।

धारा 2

हिंदी का तात्पर्य है वह हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी हो।

धारा (3) 1 (संघ में प्रयोग होने वाली भाषा एवं राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार)

संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए तथा संसद के कार्य निष्पादन के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा तथा संघ और ऐसे राज्यों के बीच जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्राचार आदि के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।

धारा (3) 2 (केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार)

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों या कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगी।

धारा (3) 3 (द्विभाषी प्रयोग)

केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी कार्यालय से जारी किए जाने वाले निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी (द्विभाषी) रूप में जारी किए जाएंगे :-

संकल्प, अधिसूचना, सामान्य आदेश, नियम, निविदा, संविदा, करार, लाइसेन्स, परमिट, प्रेस विज्ञप्ति आदि तथा संसद के दोनों सदनों में रखे जाने वाले कागजात और रिपोर्ट।

धारा 4 (संसदीय समिति का गठन)

धारा 3 लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1965 के दस वर्ष बाद राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा के संबंध में निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे।



राष्ट्रपति उक्त रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भेजेंगे तथा उनसे प्राप्त अभिमत को ध्यान में रखते हुए निदेश जारी करेंगे परंतु ऐसे निदेश धारा 3 से असंगत नहीं होंगे।

धारा 5 (केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत पाठ)

शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित होने वाले अधिनियम या अध्यादेश या संविधान के अधीन जारी होने वाले आदेश, नियम, विनियम का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

धारा 6 (कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी पाठ)

किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों में प्रयोग के लिए यदि हिंदी से भिन्न कोई भाषा है तो वहाँ अंग्रेजी में उसके अनुवाद के अतिरिक्त हिंदी अनुवाद भी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और हिंदी अनुवाद भी प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

धारा-7

नियत दिन 26 जनवरी 1965 या उसके बाद किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय या आदेश के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कर सकेगा परन्तु अंग्रेजी भाषा से भिन्न अपनाई गई भाषा के साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी साथ में रखना होगा।

धारा 8 (नियम बनाने की शक्ति)

केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

धारा-9

धारा 6 और धारा 7 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे।



राजभाषा अधिनियम 1967 (संशोधित)

राजभाषा अधिनियम 1967 (संशोधित) के अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(1) के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था की गई है, संविधान लागू होने की 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् (क) संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और (ख) संसद के कार्यनिष्पादन के लिए भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा।

उपर्युक्त व्यवस्था तब तक कायम रहेगी जब तक वे सभी राज्य जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है अपनी विधानसभाओं में इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित कर देते कि अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर दिया जाए। इस अधिनियम में वह व्यवस्था भी की गई कि भारत सरकार हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए नियम बनाएगी और हिंदी के प्रयोग प्रसार की प्रगति रिपोर्ट हर साल संसद में प्रस्तुत की जाएगी।

राजभाषा नियम 1976

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सरकारी कार्यालयों, निगमों, कंपनियों, बैंकों आदि में प्रभावी ढंग से किए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (IV) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए :-

नियम 1

इन नियमों का विस्तार तमिलनाडु राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर होगा और इन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाएगा।

नियम 2

इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे भारत को तीन क्षेत्रों अर्थात् 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

'क' क्षेत्र : इस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी है, जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और नवगठित राज्य झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का संघ शासित क्षेत्र।

'ख' क्षेत्र: इस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है फिर भी जिन्होंने



केन्द्र सरकार के कार्यालय के साथ हिंदी में भी पत्र-व्यवहार करने का निर्णय लिया है। ये राज्य हैं- गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दमण, दीव, दादरा, नागर हवेली का संघ क्षेत्र।

‘ग’ क्षेत्र: इस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है कि जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है और जिन्होंने केन्द्र सरकार के साथ हिंदी में पत्र-व्यवहार करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। इस क्षेत्र में ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्र में शामिल राज्यों और संघ क्षेत्रों के अलावा देश के अन्य राज्य और संघ क्षेत्र शामिल हैं।

नियम 3 : (केन्द्र सरकार के कार्यालयों से गैर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार)

1. केन्द्र सरकार के कार्यालयों से ‘क’ क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार या गैर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः हिंदी में होने चाहिए।
2. केन्द्र सरकार के कार्यालयों से ‘ख’ क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार या गैर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
3. केन्द्र सरकार के कार्यालयों से ‘ग’ क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार या गैर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः अंग्रेजी में होने चाहिए।

नियम 4 : (केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार)

1. केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।
2. ‘क’ क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार सामान्यतः हिंदी में होना चाहिए।
3. ‘क’ क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों से ‘ख’ तथा ‘ग’ क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी अंग्रेजी में हो सकता है।
4. ‘ख’ या ‘ग’ क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है, परंतु ‘ग’ क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर अन्य कार्यालयों को भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों के साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी भेजना होगा।

नियम 5 : (हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना)

किसी भी क्षेत्र से हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा।

नियम 6 : (द्विभाषी प्रयोग)

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी में



जारी किए जाएंगे। ऐसे कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कागजात द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं।

नियम 7: (आवेदन, अभ्यावेदन आदि की भाषा)

कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील, स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि ऐसा कार्य हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा।

यदि कोई कर्मचारी यह चाहता हो कि सेवा संबंधी मामलों में उसे दी जाने वाली सूचना या आदेश हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जाए तो प्रशासन को तदनुसार कार्रवाई करनी होगी।

नियम 8: (टिप्पणी, मसौदा आदि लेखन की भाषा)

1. कोई भी कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। उससे अनुवाद प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।
2. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी हिंदी के किसी कागजात के लिए अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं।
3. विधिक या तकनीकी होने का विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
4. उपनियम के प्रावधान के बावजूद केन्द्र सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विषयों में कार्य हिंदी में ही किया जाएगा।

नियम 9 : (हिंदी में प्रवीणता)

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है, या स्नातक अथवा उसके समकक्ष या उससे उच्चतर किसी परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है या वह इन नियमों से संबंधित प्रारूप पर यह घोषित कर देता है कि उसे प्रवीणता प्राप्त है तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी हिंदी में प्रवीण है।

नियम 10 (कार्यसाधक ज्ञान)

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ



उत्तीर्ण की है या केन्द्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन ली जाने वाली प्राज्ञ परीक्षा या किसी विशेष वर्ग के लिए ली जाने वाली निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की है या वह इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर यह घोषित कर देता है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तो उसे हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा । यदि केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो ऐसे कार्यालयों के नाम राजपत्र में हिंदी में कार्य करने के लिए अधिसूचित किए जाएंगे ।

नियम 11 (मैनुअल, कोड आदि द्विभाषी होना)

केन्द्र सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैनुअल, कोड और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य द्विभाषी में मुद्रित होना चाहिए, कार्यालय का नाम, सूचना बोर्ड, पत्र-शीर्ष, लिफाफों पर पते, रजिस्टर और फाइलों के शीर्ष तथा लेखन सामग्री आदि भी द्विभाषी होनी चाहिए ।

(आवश्यकता होने पर सभी या कुछ मदों में छूट दी जा सकती है)

नियम 12 (अनुपालन का उत्तरदायित्व)

केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के प्रावधानों को लागू करवाए । इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपाय करे ।

केन्द्र सरकार इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के सम्यक अनुपालन के लिए कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है ।



राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में जारी मुख्य आदेश

1. अद्यतन वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से 'क', 'ख' और अद्यतन वार्षिक कार्य 100: 100: और 65: तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से 'क', क्षेत्रों में स्थित 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को क्रमशः 90:, 90: और 55: और 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्यों संघ राज्यों के कार्यालयों/व्यक्तियों को 100: मूल पत्राचार (ई-मेल, आरेख एवं फैक्स आदि सहित) हिंदी में करना अनिवार्य है।
- 2 हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर 100 प्रतिशत हिंदी में दिया जाए।
3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3(3) के तहत सभी सामान्य आदेश, निविदा, सूचना, परिपत्र, करार, प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट आदि द्विभाषी जारी की जाए।
4. सभी प्रकार की लेखन सामग्री, सूचना पट्ट, प्रपत्र, मोहरें, निमंत्रण पत्र, संकेत बोर्ड, कार्याकाल पट्ट, नाम पट्ट, सूचना बोर्ड, आदि द्विभाषी / त्रिभाषी (स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी) क्रमानुसार बनवाए जाएं।
5. कार्यालय/विभाग में प्रयुक्त किए जा रहे सभी कंप्यूटरों में हिंदी का 'यूनिकोड' फॉन्ट इनेबल किया जाए।
6. सभी विभागीय एवं पदोन्नति परीक्षाओं में सभी प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) उपलब्ध कराए जाएं।
- 7 रजिस्ट्रों तथा फाइलों के विषय हिंदी में भी लिखे जाएं तथा फाइलों पर अधिकाधिक टिप्पणियों और रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ हिंदी में लिखी जाएं।
8. सभी प्रकार के निरीक्षणों में राजभाषा कार्यान्वयन प्रगति की चर्चा की जाए और निरीक्षण रपट में उसका उल्लेख किया जाए।
9. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सभी प्रशासनिक प्रधान नियमित रूप से भाग लें।
10. अंग्रेजी में लिखे गए पत्र पर यदि हस्ताक्षर हिंदी में हों तो उसका उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिया जाए।
11. 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों/विभागों से यदि पत्र अंग्रेजी में प्राप्त होता है तो भी उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए।
12. सभी विभागों/कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की जाए।



शहर का मशहूर मिष्ठान भंडार



खुद को तीसरे फ्लोर से पहचानने
की कोशिश करता है।
एयर कंडीशनर की हवा में अपनी
गर्माहट ढूंढता है।
तोंदू हलवाई की तोंद पिचक गई
है,

जलेबियों का कद छोटा हो गया है,
पूड़ी दो रुपए मंहगी हो गई है,
थाली में आइटम बढ़ गए हैं,
जायके घट गए हैं..
एक रेडीमेड अचार का टुकड़ा,
थाली में जान डालने की कोशिश करता रहता है।
कैश काउंटर पर सेठ जी,
एक बड़ी सी तस्वीर में ठीक वैसे ही मुस्कुराते हैं
कि जैसे दस साल पहले मुस्कुराते थे..
सेठ जी का लड़का जो एमबीए कर के आया है,
स्टाइल में रहता है..

मुस्कुराने की कोशिश करता है।
मगर उसकी और सेठ जी की मुस्कुराहट में ठीक उतना ही
फासला है,
कि जितना फासला ग्राउंड फ्लोर से
तीसरे फ्लोर तक का है।
शहर का मशहूर मिष्ठान भंडार
खुद को तीसरे फ्लोर से पहचानने
की कोशिश करता है।

नीरज मिश्रा

पूछताछ सह आरक्षण लिपिक (ईसीआरसी)
मथुरा छावनी संपर्क 9760540595

चल ऐ मेरे दिल



चल ऐ मेरे दिल तू मुस्कुराते
हुए चल
गीत गाते हुए चल गुनगुनाते
हुए चल
तू समय से अपने डग मिलाते
हुए चल

सबको प्यार से गले लगाते हुए... चल ऐ मेरे

हर घड़ी ना होगा तेरे साथ कारवां
तुझको खुद ही ढूंढना है अपना रास्ता
हो अंधेरी रात भी तो रोक ना कदम
तू दीये उम्मीद के जलाते हुए चल.... चल ऐ मेरे

माना जिंदगी के रास्ते बड़े कठिन
मत उदास हो तू आज फिर किसी के बिन
गिर के संभलना संभल के चलना जिंदगी
ठोकरो में भी तू लड़खड़ाते हुए चल... चल ऐ मेरे

जिंदगी का ले मजा तू इस बहार में
मंजिले खड़ी है तेरे इंतजार में
दूर है मंजिल तेरी पर रख तू हौसला
अपने पांव के निशाँ बनाते हुए चल...

विजय प्रकाश सिंह कुशवाहा
पदनाम सीसीटीएस
स्टेशन- काशीपुर



राजभाषा प्रश्नोत्तरी

1. केंद्रीय हिन्दी समिति के अध्यक्ष कौन हैं ? / Who is the Chairman of Central Hindi Committee?

उत्तर: प्रधानमंत्री / Prime Minister.

2. राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? / Who was the First chairman of the Official Language Commission formed?

उत्तर: बी. जी. खेर B.G. Kher.

3. वर्ष 1975 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे ? / Who was the chairman of the Parliamentary Committee on Official Language constituted in the year 1975?

उत्तर: तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता।

4. राजभाषा विभाग का राभाकास से क्या मतलब है? / What is the expansion for OLIC used by Dept. of Official Language?

उत्तर: राजभाषा कार्यान्वयन समिति/ Official Language Implementation Committee ।

5. अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? What is the amount of Honorarium given to the part time Hindi Library Assistant ?

उत्तर: रु 325/-

6. राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343-351 संविधान के किस भाग में है? In which part of the Constitution are the Articles 343-351 that give information about Official Language available?

उत्तर: भाग-17 (सत्रहवें भाग) / भाग 17 (Seventeenth Part)

7. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? / With which section 7 of Official Languages Act 1963 is concerned?



उत्तर: उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। It is concerned with the optional use of Hindi or other Official Language Judgements in High Courts .

8. राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? / In which state Section 6 & 7 of official Language Act 1963 do not apply?

उत्तर: जम्मू व कश्मीर / Jammu & Kashmir

9. संविधान के भाग- V में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है?/In which article is the provision regarding OL policy available in Part V of the constitution ?

उत्तर: अनुच्छेद 120/Article 120.

10. राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था? Why was the OLAAct passed?

उत्तर: 1965 के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के प्रावधान के लिए । / To use English along with Hindi even after 1965

11. राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ ? When was Official Language Act 1963 passed?

उत्तर: 10.05.1963

12. राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the First Chairman of the Committee was formed on the recommendation of the Official Language Commission ?

उत्तर: जी.बी. पंत/GB. Pant



13. संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियम और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? / As per the Constitution, who is translating the statutory rules, regulations and order?

उत्तर: विधि मंत्रालय / Law Ministry

14. 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन-सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन-सी भाषा सहायक राजभाषा ? / Which were the main language & co-official language used for the Official purpose of the Union of India upto 1965?

उत्तर: अंग्रेजी मुख्य राजभाषा तथा हिंदी सहायक राजभाषा । / English was the main language & Hindi co-official language.

15. राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? When was the Official Language Act 1963 amended?

उत्तर: 1967

16. संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? / Which committee of the Committee of Parliament on Official Language prepares the draft?

उत्तर: संसदीय राजभाषा समिति की प्रालेख एवं दर्शन उप समिति। /आधिकारिक भाषा की संसद की समिति की प्रारूपण एवं साक्ष्य उप-समिति।Drafting & Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament of Official Language.

17. रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे ? / In which year the Hindi translation of Railway Budget was prepared and who was the Railway Minister?



उत्तर: वर्ष 1956 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री / In the year 1956, Late Lal Bahadur Shastri.

18. हिन्दी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है ? / What is the scheme implemented by the Railway Board for doing work in Hindi ?

उत्तर: राजभाषा वैयक्तिक नकद पुरस्कार योजना। Rajbhasha individual Cash Award Scheme.

19 . भारत संघ की राजभाषा क्या है?/What is the Official Language of Union of India ?

उत्तर: देवनागरी लिपि में हिंदी / Hindi in Devnagari Script

20. संबंधित मंत्रालय/विभाग में हिन्दी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? /Which Committee review the progress made in the propagation of Hindi in a particular Ministry/Department?

उत्तर: हिंदी सलाहकार समिति / Hindi Salahkar Samiti.

21. राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं ?/ How many members are there in the Parliamentary Committee on Official Language?

उत्तर : 30

22. संसदीय राजभाषा समिति में लोक सभा के कितने सदस्य हैं? ?/ How many Loksabha members are there in the Parliamentary Committee on Official Language?

उत्तर: 20



23. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन-सा मंत्रालय/कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है?। Which Ministry/Office is conducting the exams for the Central Govt. employees?

उत्तर: गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। Hindi Teaching Scheme under Home Ministry

24. प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ?/ Who is the Chairman of the Town Official Language Implementation Committee constituted in major cities?

उत्तर: नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी/Senior most Central Govt. Officer of the city .

25. राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है ?/who prepare the annual programme on official Language?

उत्तर: गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs.

26. राजभाषा नियम कब पारित हुआ ? / When was the OL Rules passed?

उत्तर: 1976।

27. हर साल 'हिंदी दिवस' कब मनाया जाता है?। When is Hindi Day celebrated every year?

उत्तर: 14 सितम्बर/14 September

28. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं ? / How many Hindi courses are prescribed for Central Govt. employees?

उत्तर: चार / Four

29. वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? / When was the present Parliamentary Committee on Official Language constituted?



उत्तर: जनवरी 1976/January 1976.

30. फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप-समितियां हैं ? / At present, how many Sub-Committees are there in the Parliamentary Committee on Official Language?

उत्तर: 3 उपसमितियां/ Three Sub-Committees.

31. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है ? What is the periodicity of the meetings of Town Official Language Implementation Committee?

उत्तर: 3 महीने में एकबार / Once in 3 Months.

32. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है?/What is the periodicity of the meetings of Town Official Language Implementation Committee?

उत्तर: 6 महीने में एकबार / Once in 6 Months.

33. रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी उप समिति करती है?। Which Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspects Railway Ministry?

उत्तर: दूसरी उप समिति / Second Sub-Committee

34. केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? / Which is the final Hindi courses prescribed for Central Govt. Employees?

उत्तर: प्राज्ञ / Pragya.

35. हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन-सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं ? / What are all the training



facilities available to Central Govt. Employees to get trained in the Hindi course ?

उत्तर: नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट /Regular, Intensive, Correspondence and Private.

36. साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिन्दी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? / How many times are the Regular Hindi examination conducted in a year ?

उत्तर: दो बार /2 times.

37. नियमित हिंदी परीक्षाएं किन-किन महीनों में चलाई जाती हैं ? / In which months Regular Hindi examination are conducted ?

उत्तर: मई व नवंबर / May and November.

38. वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की ? / Who chaired the first Railway Hindi Salahkar Samiti constituted in 1973 ?

उत्तर: श्री ललित नारायण मिश्र/Shri Lalit Narayan Mishra

39. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? / From when did the section3(3) of Official Language Act take effect ?

उत्तर: 26 जनवरी 1965/26 January, 1965.

40.आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? / What is the foreign Language included in the Eighth schedule ?

उत्तर नेपाली/ Nepali

41. राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिकों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? What is the amount of Honorarium given to the OLIC Clerks?



उत्तर: ₹ 600/-

42. राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्गीकृत तीन क्षेत्र क्या-क्या हैं? / What are the three regions classified under Official Language Rules?

उत्तर: क, ख, ग क्षेत्र/A, B & C Regions.

43. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या-क्या है? / What are the Hindi courses prescribed for Central Govt. Employees?

उत्तर: प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ व पारंगत / Prabodh, Praveen Pragya & parngat.

44. राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के पद का सृजन हुआ था ?/ In which year the post of Hindi Asst. was created in Railway Board in compliance of President's order of 1952 ?

उत्तर वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में /in the General Branch of Railway Board in the year 1952.

45. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं? Who is the chairman of the Divisional Official Language Implementation Committee ?

उत्तर मंडल रेल प्रबंधक / Divisional Rail Manager

46. संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? What is the main duty of Parliamentary Committee on Official Language?

उत्तर: हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना / To review the progressive use of Hindi.



47. अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई ? / In Compliance of article 344 when was the Official Language Commission formed?

उत्तर वर्ष 1955 में / in the year 1955

48. स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना है?/ In which order are the Station announcement made?

उत्तर: त्रिभाषी (प्रादेशिक हिंदी व अंग्रेजी) Trilingual (Regional, Hindi & English)

49. 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से ?/What are all the States that come under Region 'A'?

उत्तर: बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र / Bihar, Jharkhand, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh. Chattisgarh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttranchal States & Andaman & Union Territory of Nicobar island group.

50. अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्षों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? What is the amount of Honorarium given to the part time Hindi Librarians ?

उत्तर: रु 1000/-



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ

मंडल विकिसालय में 'विश्व मादक पदार्थ निरोध दिवस' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।



दिनांक 21 जून, 2025 को इज्जतनगर मंडल पर 11वाँ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' थीम पर मनाया गया



पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल के मंडल रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में "ग्रीष्मकालीन स्पोर्ट्स कैम्प - 2025" का आयोजन किया गया।





इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



14वें इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिवस और भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण वर्ष (1925-2025) के 100वाँ गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर इज्जतनगर मंडल के लोको शेड के सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, सुश्री वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया।



इज्जतनगर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक, सुश्री वीणा सिन्हा के नेतृत्व में इज्जतनगर मंडल के सेवित क्षेत्रों के सम्मानित व्यापारियों के साथ व्यापार विकास बैठक का आयोजन किया गया।



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



26 जनवरी, 2025 को
मंडल रेल प्रबन्धक,
इज्जतनगर सुश्री वीणा सिन्हा
ने 76वें गणतंत्र दिवस के
अवसर पर रेलवे स्पोर्ट्स
स्टेडियम, इज्जतनगर में
आयोजित समारोह में राष्ट्रीय
ध्वज फहराया।



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



इज्जतनगर मंडल के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में मण्डल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इज्जतनगर की राजभाषा प्रगति समीक्षा बैठक एवं हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय के सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबन्धक सुश्री वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया।



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



मण्डल रेल प्रबन्धक, इज्जतनगर, सुश्री वीणा सिन्हा ने रेल सुरक्षा बल अंतर मंडलीय एथलेटिक्स, क्रिकेट एवं क्रास - कंट्री रेस प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया।



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



इज्जतनगर मंडल पर , मंडल रेल प्रबंधक, सुश्री वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में मंडल सभाकक्ष में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। जिसमें मंडल रेल प्रबंधक, सुश्री सिन्हा द्वारा गत वित्त वर्ष 2024-25 में इज्जतनगर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी विस्तृत रूप से साझा की गई।



इज्जतनगर मंडल पर कार्मिक विभाग के तत्वावधान में भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'जन्म दिवस' समारोह में मंडल रेल प्रबंधक, सुश्री वीणा सिन्हा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री मनोज कुमार सहित मंडल के शाखा अधिकारियों, यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा रेल कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की



इज्जतनगर मंडल की गतिविधियाँ



पूर्वोत्तर रेलवे भारत
स्काउट एवं गाइड्स जिला
संघ, इज्जतनगर द्वारा
संरक्षा विभाग के
तत्वावधान में इज्जतनगर
रेलवे स्टेशन पर रेल
यात्रियों एवं आमजन में
रेल से संबंधित संरक्षा
नियमों की जानकारी देने
के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक
का मंचन किया गया





ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सलाम करता रेल परिवार इज्जतनगर मंडल के रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय ध्वज की रोशनी में हुए सरोबार

